उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग
देहरादून: दिनांक: 17 अगस्त, 2022
सं0-259/XXII(1)2022/1(11)2015

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)' में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है; अर्थात:-

उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता(संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता (संशोधन) नियमावली, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-8 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के खण्ड(दो) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ-2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
8.(दो) इस संशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में सूचीबद्ध चैनलों की सूचीबद्धता 6 माह तक के लिए मान्य/विस्तारित एवं सीमित होगी। विभाग में सूचीबद्ध चैनलों को नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त अवधि में पुनः सूचीबद्धता आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सूचीबद्धता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप महानिदेशक, सूचना द्वारा निर्धारित किया जायेगा।	8.(दो)अधिसूचना सं0-430/XXII-1/2021-01(11)2015 दिनांक 11.12.2021 जारी होने की तिथि तक विभाग में सूचीबद्ध चैनलों की सूचीबद्धता 10 दिसम्बर, 2022 तक मान्य/विस्तारित एवं सीमित होगी। विभाग में सूचीबद्ध ऐसे चैनल जो विभाग में अपनी सूचीबद्धता जारी रखना चाहते हों, को उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप महानिदेशक, सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुनः अपना सूचीबद्धता आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से समयान्र्गत विभाग को उपलब्ध कराते हुए अपना चैनल विभाग में सूचीबद्ध कराना होगा।

JD II

संख्या 3194 सू0एवं0लो0सं0वि0 ( )/202

(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव

A aa doc 1100

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

A.aa.doc 1101